

आनन्द किशोर, भा.प्र.सं.
प्रधान सचिव
Anand Kishor, I.A.S.
Principal Secretary



बिहार सरकार
वित्त विभाग
पुराना सचिवालय, पटना-800015
Govt of Bihar,
Finance Department
Old Secretariat, Patna - 800015
Tel. No. - 0612-2215805
Email - finsecy-bih@nic.in

पत्र संख्या-वि०(27)पि०को०-51/2020-1002/वि०,

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव
सभी सचिव/विभागाध्यक्ष/प्रमंडलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी/कोषागार पदाधिकारी, बिहार।

विषय:- कोविड-19 संक्रमण के फलस्वरूप मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों को विशेष पारिवारिक पेंशन की स्वीकृति हेतु अनुग्रह अनुदान समिति के विचारार्थ संलेख प्रस्ताव उपलब्ध कराने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्त विभागीय संकल्प सं०-435 दिनांक-27.07.2020 एवं संकल्प सं०-273 दिनांक-03.05.2021 द्वारा दिनांक-01.04.2020 से 30.09.2021 तक की अवधि में कोविड-19 संक्रमण के फलस्वरूप मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों को विशेष पारिवारिक पेंशन की सुविधा अनुमान्य की गयी है। ऐसे मामलों में प्रशासी विभाग द्वारा संलेख प्रस्ताव गठित कर अनुग्रह अनुदान समिति के विचारार्थ उपलब्ध कराया जाता है एवं समिति के अनुमोदनोपरांत प्रशासी विभाग द्वारा संबंधित आदेश निर्गत किया जाता है।

2. एतद् संबंधी संवित मामलों के शीघ्र निष्पादन हेतु वित्त विभागीय पत्रांक-827 दिनांक-16.08.2024 द्वारा अनुरोध किया गया था कि विशेष पारिवारिक पेंशन की स्वीकृति से संबंधित सभी मामले जिन्हें अनुग्रह अनुदान समिति के विचारार्थ रखा-जाना-है, दिनांक-31.10.2024 तक समिति के समक्ष उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

3. अतः उक्त आलोक में सूचित करना है कि कोविड-19 संक्रमण के फलस्वरूप मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों को विशेष पारिवारिक पेंशन की स्वीकृति से संबंधित मामले जिन्हें मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में गठित अनुग्रह अनुदान समिति के समक्ष विचारार्थ रखा जाना है, उन्हें दिनांक-31.10.2024 तक निश्चित रूप से समिति के समक्ष उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय। उक्त तिथि के बाद प्राप्त होने वाले किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जाएगा।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय।

विश्वासभाजन

(आनन्द किशोर)
प्रधान सचिव।

बिहार विधान सभा सचिवालय

ज्ञापानक-1स्था०-88/2024 2958 / वि०सं०, पटना, दिनांक 28-10-2024 ई०।

प्रति:- सभा सचिवालय के कोविड-19 संक्रमण के फलस्वरूप मृत सरकारी सेवकों के आश्रित परिवारों को सूचित किया जाता है कि वित्त विभाग, बिहार सरकार का संकल्प सं०-435, दिनांक 27.07.2020 एवं वित्त विभाग, बिहार सरकार का संकल्प सं०-273, दिनांक 03.05.2021 में वर्णित प्रावधान के आलोक में अपना अभ्यावेदन सभी आवश्यक कागजातों के साथ प्रभारी सचिव, बिहार विधान सभा को दिनांक 28.10.2024 तक समर्पित करें।

(सुधीर कुमार सिंह)

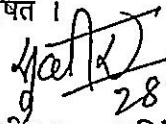
अवर सचिव,

बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना।

ज्ञापांक-1स्था०-88/2024 2958

/ वि०स०, पटना, दिनांक 28-10-2024 ई० ।

प्रति:- अवर सचिव, श्रव्य एवं दृश्य इकाई शाखा, बिहार विधान सभा सचिवालय को बिहार विधान सभा सचिवालय के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।


28.10.24
(सुधीर कुमार सिंह)

अवर सचिव,

बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना ।

ज्ञापांक-1स्था०-88/2024 2958

/ वि०स०, पटना, दिनांक 28-10-2024 ई० ।

प्रति:- स्थापना शाखा के सभी संबंधित प्रभारी सहायक प्रशाखा पदाधिकारीगण सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।


28.10.24
(सुधीर कुमार सिंह)

अवर सचिव,

बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना ।